भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5687

दिनांक 27 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

लोक नायक अस्पताल में दाखिलों में अनियमितताएँ

†5687. श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषादः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से संबद्ध लोक नायक अस्पताल, नई दिल्ली में संकाय,अवसंरचना में कमियों और सांविधिक मानदंडों के उल्लंघन सहित एमसीएच न्यूरोसर्जरी और डीएम न्यूरो-एनेस्थीसिया पाठ्यक्रमों में कथित रूप से अनियमित दाखिले के संबंध में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की जांच रिपोर्ट की जानकारी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों/पूर्व विभागाध्यक्षों के विरुद्ध क्या अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है;

(ग) क्या एनएमसी ने धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक षड्यंत्र और सरकारी पद के दुरुपयोग के आरोपों सहित कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत आपराधिक जांच की सिफारिश की है;

(घ) सरकार द्वारा प्रभावित छात्रों के शैक्षिक भविष्य, डिग्री की वैधता और प्रवासन को सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय किए गए हैं जिनके प्रवेश को इस संबंध में शुरू से ही अमान्य घोषित कर दिया गया था; और

(ङ) सरकारी चिकित्सा संस्थानों में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निगरानी, संपरीक्षा और जवाबदेही तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली से संबद्ध लोक नायक अस्पताल में एम.सी.एच. न्यूरोसर्जरी और डी.एम. न्यूरो-एनेस्थीसिया पाठ्यक्रमों में कथित अनियमित प्रवेश से संबंधित मुद्दों की जांच की है। इस मामले में प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित चिंताओं के साथ-साथ संकाय, बुनियादी ढांचे और वैधानिक मानदंडों के अनुपालन में कुछ कमियां भी शामिल हैं।

सुधारात्मक उपाय के रूप में, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार ने सूचित किया है कि एम.सी.एच. (न्यूरोसर्जरी) के छात्रों के लिए मार्गदर्शक के रूप में नए संकाय सदस्यों को नामित किया गया है।

इसके अलावा, छात्रों के शैक्षणिक हितों और भविष्य की रक्षा के लिए, शैक्षणिक सत्र 2024-27 में प्रवेश लेने वाले सभी चार छात्रों का तबादला गोविंद बल्लभ पंत स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (जीआईपीएमईआर), नई दिल्ली में कर दिया गया है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने इस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त पद भी सृजित किए हैं।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने आयुर्विज्ञान संस्थानों में जवाबदेही सुनिश्चित करने और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े विनियामक प्रावधानों के साथ-साथ निगरानी और अनुपालन तंत्र भी लागू किए हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार ने सूचित किया है कि निगरानी और पर्यवेक्षण को मजबूत करने, सांविधिक मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने, संकाय और बुनियादी ढांचे की नियमित समीक्षा करने और आयुर्विज्ञान संस्थानों और विनियामक निकायों के साथ समन्वय बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं।
